“MAA” OMWATI COLLEGE OF EDUCATION HASSANPUR (PALWAL)

AFFILIATED CRS UNIVERSITY, JIND

B.ED – 2ND YEAR (2021-22)

NOTES PAPER- V (A)

GENDER SCHOOL AND SCOIETY

MAA OMWATI EDUCATION TRUST

DELHI

E-mail: moce.principal@maaomwati.com

इकाई - 1

लिंग: लड़का अथवा लड़की होने का विभिन्न सामाजिक समूहों, क्षेत्रों और समय अवधियों में अर्थ

(Gender: Meaning of being a boy or a girl across different social groups, regions and time-periods)

प्रस्तावना (Introduction)

जेंडर एवं सेक्स के अन्तर्गत दोनों के अर्थ एवं अन्तर के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत इकाई में आप जेंडर एवं सेक्स का अर्थ एवं दोनों के मध्य अन्तर का अध्ययन करेंगे एवं विभिन्न सामाजिक समूहों में, क्षेत्रों और समय अवधियों में एक लडका या लडकी होने का अर्थ एवं अनुभवों का अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य (Object)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- जेंडर का अर्थ एवं परिभाषा बता सकेंगे।
- सेक्स का अर्थ एवं परिभाषा बता सकेंगे।
- जेंडर एवं सेक्स में विभेद कर सकेंगे।
- विभिन्न सामाजिक समूहों में लडका या लडकी होने का अर्थ एवं अनुभव बता सकेंगे।
- विभिन्न क्षेत्रों में लडका या लडकी होने का अर्थ एवं अनुभव बता सकेंगे।
- विभिन्न समयावधियों में लडका या लडकी होने का अर्थ एवं अनुभव बता सकेंगे।

लिंग व सेक्स (Gender and Sex)

हम अपने आसपास के वातावरण को यदि देखें, तो हमारी सामाजिक संरचना में कुछ विशेष प्रकार की भूमिकाएं एवं दायित्व पहले से निर्धारित नजर आते हैं। जैसे महिलाओं के लिये अलग भूमिकाएँ होती हैं, और पुरुषों के लिये अलग। इन्हीं के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौनसी भूमिकाओं के लिए किस प्रकार के साधनों और सुविधाओं की जरुरत होगी।

"राजू बचपन से ही इस बात को देखता आया है, कि उसके परिवार में उसके और उसकी बड़ी बहन मीना के लिए अलग-अलग व्यवहार की अपेक्षा होती है। वह देर तक बाहर रह सकता है, लेकिन उसकी बहन को बहार अधिक समय तक रहने नहीं दिया जाता। कल की ही बात है- मीना कुछ ऊँची आवाज में बोली तो माँ ने उसे बहुत डांटा–लड़की होकर इतने ऊँचें सुर में बात करती है! लड़कियों को पराये घर जाना होता है। ऐसा राजू के साथ तो कभी नहीं हुआ। स्कूल तक तो दोनों भाई-बहन साथ में पढ़े, लेकिन अब मीना आगे नहीं पढ़ती। माता-पिता जोर शोर से उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब मीना पर बहुत साड़ी पाबंदियां लग गयी हैं, जैसे बहार खेलना, तेज आवाज में बात करना, घुमने जाना, सहेलियों के साथ फिल्म देखने जाना आदि। अधिकतर समय वो माँ के साथ रसोई के कार्य में जुटी रहती है। एक दो

बार उसने दबी आवाज में आगे पढने की बात की तो, पिताजी ने मना कर दिया। इसके विपरीत राजू की डॉक्टर बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। उसे घर का काम भी नहीं करना पड़ता। न बहार आने-जाने की पाबन्दी है। राजू को अभी भी याद है, जब वो बहुत छोटा था तो उसकी बड़ी बहन मीना को बहार जाना होता तो माँ राजू को भी साथ जाने के लिए कहती। यह बात राजू ने अच्छी तरह समझ ली है। अब जब भी मीना बहार खड़ी दिखायी देती है, तो राजू उसकी चोटी पकड़कर उसे घर के अन्दर ले आता हैं।''

उपरोक्त कहानी पढ़कर यह प्रश्न मस्तिष्क मे उठाना सम्भाविक है कि दोनों बच्चों के साथ परिवार के सदस्यों का व्यवहार अलग- अलग क्यों है। मीना को पढाई के अवसर से क्यों वंचित रखा गया। घर का काम केवल मीना ही क्यों करती है, राजू क्यों नहीं। सब पाबंदियां मीना पर ही क्यों हैं। राजू मीना की चोटी पकड़कर घर ले आता है, क्या यह अच्छी बात है? क्या लड़के व लड़की में यह भेद हर स्थिति, समाज, देश एवं काल में होता है?

लड़का क्या है और लड़की क्या है या लिंग और जेंडर में क्या भेद है? इन सभी बातों को समझने के लिए कि इनका शाब्दिक अर्थ को समझना बहुत जरुरी है।

शब्दकोश के अनुसार लिंग व सेक्स का अर्थ निम्नानुसार है-

लिंग (जेंडर)- व्याकरण के शब्दों का स्त्री व पुरुष विभाजन।

सेक्स- वे विशेषतायें जो स्त्री एवं पुरुष के अन्तर को स्पष्ट करतीं हैं।

सेक्स एक जैविक शब्दावली है जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को प्रदर्शित करती है, वहीं जेन्डर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। जेन्डर शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद दिखते हैं, वे प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा निर्धारित किये गये हैं और इसी में यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो दूर भी किया जा सकता है। समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे पूरी सामाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत बचपन से ही बालक-बालिका का अलग-अलग ढंग से पालन-पोषण किया जाता है और यह फर्क सामान्यतः सभी जगह देखा जा सकता है। सामान्यतः लिंग एवं सेक्स को एकही माना जाता है एवं एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना आम बात है परन्तु इनमें बहुत अन्तर व्याप्त है खासकर सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में इनका अन्तर और भी व्यापक हो जाता है। सेक्स जैवकीय अवधारणा है वरन लिंग एक सामाजिक अवधारणा है। लिंग एवं सेक्स का अर्थ निम्नवत है-

- **लिंग-** लिंग शब्द अंग्रेजी के शब्द जेंडर का हिन्दी रूपान्तरण है। सामान्यतः लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष एवं स्त्रियों के गुणों के कुलक तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। फेमिनिस्ट के अनुसार- ''सामाजिक लिंग को स्त्री-पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री-पुरुष के मध्य असमान सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।''
- **सेक्स-** सेक्स एक जैविकीय अवधारणा है। अन्न ओकले ने अपनी पुस्तक सेक्स जेंडर एण्ड सोसाइटी 1972 में सेक्स को परिभाषित करते हुये कहा है कि, ''सेक्स का तात्पर्य पुरुषों अथवा

स्त्रियों के जैविक विभाजन से है।'' यहां तक की संसार में सभी जीवितों को उनके जैविकीय आधार पर दो वर्गों नर तथा मादा में बांटा गया है।

इस तरह हम देखते हैं और पाते हैं कि सेक्स शब्द का प्रयोग महिलाओं एवं पुरुषों में जैविक भिन्नता दर्शाने के लिये प्रयुक्त होता है जबकि जेण्डर शब्द का प्रयोग पुरुषों एवं महिलाओं के सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेद को दर्शाने के लिये प्रयुक्त होता है। जेण्डर विभाजन का आधार सेक्स ही है। सेक्स के आधार पर कुछ कार्यों में विभाजन अनिवार्य है जैसे कि स्त्री अपनी यौन संरचना के कारण बच्चे को जन्म देती है एवं उसे दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है। पुरुषों की जैविकीय संरचना भिन्न होने के कारण किसी भी स्थिति में पुरुष यह कार्य नहीं कर सकता है। यह एक जैविकीय भेद है इसमें समाज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। परन्तु सेक्स के आधार पर समाज द्वारा जो कार्यों का विभाजन किया गया है वह लैंगिक भेद के अन्तर्गत आता है। जैसे- स्त्रियों को सेना में कार्य नहीं करना चाहिए, रात्रि में अकेले नहीं घूमना चाहिए, स्त्रियां कमजोर होती, स्त्रियां भावुक होतीं हैं, स्त्रियों को सत्ता गृहण करने का अधिकार नहीं है आदि लैंगिक भेद को प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं।

लैंगिक भेद समाज में आज से नहीं वरन सदियों से व्याप्त है। समय-समय पर स्त्रियों एवं पुरुषों की स्थिति अलग-अलग रही है एवं क्षेत्रों तथा समाजिक वर्गों के आधार पर स्त्रियों एवं पुरुषों की स्थिति अलग-अलग है जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

अभ्यास प्रश्न

1. लिंग शब्द अंग्रेजी के.....शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है।
2. पितृ सत्तात्मक समाज में किसकी प्रधानता होती है?

   (क) स्त्री की (ख) पुरुष की (ग) दोनों की (घ) किसी की नहीं।

विभिन्न सामाजिक समूहों में एक लडका या लडकी होने का अर्थ एवं अनुभव (Meaning and experience of being a boy or a girl across different social groups)

भारत वर्ष में पूरा मानव समुदाय अनेक सामाजिक समूहों मे विभक्त है। अलग-अलग समय में सामाजिक समूहों का निर्धारण करने का आधार अलग-अलग था। प्राचीन काल में भारत में समाज मुख्य रूप से चार समूहों ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्गों में विभाजित था जिसका विभाजन पहले कर्म के आधार पर था परन्तु समय के साथ यह विभाजन जन्म के आधार पर हो गया। समय के साथ आज समाज कई समूहों में बंट गया है एवं प्रत्येक समूह में महिलाओं एवं पुरुषों की स्थिति अलग-अलग है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

सामान्य वर्ग

सामान्य वर्ग में सवर्ण वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। सामान्यतः इस वर्ग के आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं शिक्षा से जुडे हुये हैं अतः समाज में इन्हे उच्च स्थान प्राप्त है। सामान्य वर्ग के समुदायों में महिलाओं की

स्थिति बहुत अच्छी है इस वर्ग में महिलाओं का शोषण नगन्य है। प्राचीन काल में भी इस वर्ग के लोग आर्थिक रूप से अधिक सम्पन्न हुआ करते थे जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। राजाओं के शासन काल मे भी इस वर्ग के लोगों को समाज में व राजसभाओं में उच्च स्थान प्रदान किया गया था। इस वर्ग के लोग कभी भी शोषण के शिकार नहीं हुये हैं। वर्तमान समाज में भी अधिकांशतः व्यक्ति जो सामान्य वर्ग के समुदाय से सम्बन्धित हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं। परिवार में महिलायें एक गृहणी के रूप में रहतीं हैं। इस समुदाय में लडकों एवं लडकियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाते हैं। लैंगिक असमानता दूर करने की पहल का श्रेय यदि सामाजिक वर्ग के तौर पर देखा जाये तो केवल सामान्य वर्ग को ही जाता है। परन्तु ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जो ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं वहां आज भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं दिये जाते हैं जिसका मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रो में विद्यालय का न होना जिस कारण अभिभावक जागरुक होते हुये भी अपनी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं।

अन्य पिछडा वर्ग

पिछडा वर्ग समुदाय में सामान्यतः मध्यम वर्गीय लोग निवास करते हैं। इस वर्ग मे महिलाओं की स्थिति सामान्य है। महिलाऐं परिवार में केवल एक गृहणी के रूप में निवास करती हैं एवं शोषण से मुक्त हैं। इस वर्ग के लोग सामान्यतः कृषि या व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज के आधुनिक समाज मे अन्य पिछडा वर्ग में बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी है। इस वर्ग के लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ व्यक्ति उच्च शिक्षा गृहण करके उच्च पदों पर भी आसीन हो गये हैं परन्तु उनके द्वारा पूरे समाज के उत्थान के लिये कोई कार्य नहीं किये जाते हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति

अनुसूचित जाति वर्ग के लोग शिक्षा से अछूते हैं जिसका मुख्य कारण प्राचीन काल से ही समाज के सवर्ण वर्गों द्वारा इनकी उपेक्षा है। अनुसूचित जाति की पहचान उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। समाज में इस जाति के लोग चमड़े, मैला ढ़ोने आदि का व्यापार करते हैं एवं समाज में आज भी उन्हें उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। इस वर्ग के कुछ लोग उच्च वर्ग के द्वारा उपेक्षित होने के कारण स्वयं को अछूत एवं शिक्षा ग्रहण करने में अयोग्य समझते हैं। महिलाऐं भी शिक्षा से कोशों दूर हैं। समाज में इस समुदाय के कुछ लोगों द्वारा महिलाओं का उत्पीडन भी किया जाता है। अशिक्षा एवं गरीबी इस वर्ग के कुछ लोगों को आपराधिक प्रवत्ति की ओर बढने का मुख्य कारण है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग का अर्थ परम्परागत समाज के ऐसे सामाजिक भाग से है. जो आपस में सामाजिक, आर्थिक अथवा रक्त सम्बन्ध एवं समान संस्कृति के आधार पर जुड़े हुये हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग पर्वतों, जंगलों, रेगिस्तान आदि जगहों पर निवास करते हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही समाज के इस भाग को शिक्षा से वंचित रखा गया। परन्तु समाज के इस समूह में महिलाओं की स्थिति अन्य समूहों की तुलना में कहीं अच्छी है। जनजातियों में महिलायें अन्य समुदायों के सापेक्ष अत्यधिक स्वतन्त्र रूप से जीवन-यापन करतीं हैं। महिलायें पुरुषों के समान कार्य करतीं है अतः पुरुषों का महिलाओं पर कोई विशेष अंकुश नहीं है। साथ ही महिलाओं का किसी भी प्रकार से शोषण

या उत्पीडन नहीं किया जाता है। समाज का यह भाग शिक्षा से वंचित है जिस कारण आज भी इनके कानून पुराने रीति-रिवाजों पर आधारित हैं। महिलायें एवं पुरुष वर्ग भी शिक्षा गृहण नहीं करते हैं। जीविकोपार्जन के लिये ये बस्तियों के समीप झोंपड़ी बना कर रहते हैं एवं छोटे-छोटे व्यवसाय करके जीवन यापन करते हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय

अल्संख्यक समुदाय का तात्पर्य ऐसे सामाजिक समूहों से है जिनकी संख्या नगन्य है। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि धर्मों को मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है। वर्तमान में समाज मे इनकी स्थिति अच्छी है। यदि महिलाओं की स्थिति के बारे मे कहा जाये तो मुस्लिम समुदाय को छोडकर अन्य समुदायों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। परन्तु मुस्लिम समुदाय में पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित है, महिलाओं को अकेले बाहर जाने का अधिकार नहीं है। जिसका मुख्य कारण पहले से चली आ रही इस समुदाय की परम्परायें हैं। महिलाओं को पुरुषों समान नहीं माना जाता है, उनके लिये जो कार्य निर्धारित किये गये हैं उन्हें वही करने पडते हैं। उनके निजी कानून के अनुसार तो महिलाओं को शिक्षा गृहण करने का भी अधिकार नहीं है यहां तक की महिलाओं को मस्जिद मे जाने तक का अधिकार नहीं है। मुस्लिम सम्प्रदाय मे बहुपत्नि प्रथा भी प्रचलित है जिससे यह पता चलता है कि इस समुदाय में पत्नि को अर्धांगिनी न मानकर उपभोग की वस्तु माना जाता है एवं विवाह इनके लिये एक सौदा की भांति है। मुस्लिम वर्ग के पुरुष अधिकांशतः स्वयं का व्यवसाय स्थापित करके जीवन यापन करते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. किस समुदाय में स्त्रियों की दशा अत्यन्त दयनीय है?

   (क) सामान्य (ख) अन्य पिछडा वर्ग (ग) मुस्लिम (घ) उपरोक्त सभी।

2. .....वर्ग के लोग प्राचीन काल में उच्च पदों पर आसीन थे।

विभिन्न क्षेत्रों में एक लडका या लडकी होने का अर्थ एवं अनुभव (Meaning and experience of being a boy or a girl across different regions)

भारत में क्षेत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों रहने वाले व्यक्तियों की संख्या शहरी क्षेत्र में रहने वालों से कहीं अधिक है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों का रहन-सहन, व्यवसाय आदि में बहुत अन्तर पाया जाता है। अतः दोनों क्षेत्रों में पुरुष एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी भिन्न-भिन्न है। लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक कुरूतियां आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण निम्नवत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में

भारत में आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करती है। ग्रामीण इलाके जो सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं एवं आधुनिक संसाधनों से पूर्ण रुप से दूर हैं वहां पर महिलाओं एवं पुरुषों की स्थिति वहां पर प्रचलित रीति रिवाजों पर निर्भर करती है। जैसे कि किन्ही स्थानों पर आज भी बाल-विवाह प्रथा प्रचलित है। वहां पर छोटी सी उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है एवं प्रसव के दौरान या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या जीवन भर किसी न किसी बीमारी की शिकार हो जाती हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र जहां पंचायत प्रचलित हैं वहां आज भी पुरुषों एवं महिलाओं की स्थिति वहुत खराब है। ऐसे स्थानों पर पूर्व काल से चले आ रहे उनके लोक कानूनों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर खाप पंचायतों को लिया जा सकता है जहां पर पुरुष या स्त्री अन्तर्जातीय विवाह नहीं कर सकते हैं यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हे दण्डित किया जाता है। ऐसे कई अन्य उनके कानून हैं जो वर्तमान भारत में अवैध हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कुछ धनवान एवं बाहुबली लोगों का वर्चस्व है वहां पर स्त्रियों की दशा खराब है। ऐसे स्थानों पर महिलाऐं उनके लिये केवल उपभोग की वस्तु हैं।

ग्रामीण क्षेत्रो में विकास की सबसे बडी बाधा अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष एवं स्त्रियों को न तो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है और न ही कर्तव्यों के बारे में पता है अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री का स्थान एक गृहणी तक ही सीमित रह गया है। महिलाओं का कार्य केवल बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना, घर के सारे काम-काज करना एवं कृषि या अन्य कार्यों में अपने परिवार के लोगों की सहायता करना ही निर्धारित हो गया है। यहां तक कि उनकी जो बच्चियां होती हैं उन्हें भी बचपन से ही घर के काम काज करना सिखाया जाता है एवं वे शिक्षा से कोशों दूर हैं।

वे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों से जुड़ते जा रहे हैं वहां पर इन लोक रीति एवं रिवा जों का पतन धीरे-धीरे देखने को मिला है। शहरी क्षेत्रों से जुडे होने के कारण व्यक्तियों को सभी मूलभूत सुविधाऐं मिल रही हैं। इन ग्रामीण इलाकों में तकनीकि के आ जाने से कृषि भी लाभ का व्यवसाय हो गया है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से बच्चियों को भी शिक्षा गृहण करने के समुचित अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी विद्यालय खोले जा चुके हैं फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांशतः बच्चे पढ़ रहे हैं एवं शिक्षा के स्तर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। शिक्षा के स्तर मे वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बाल विवाह जैसे कई अन्य कुप्रथाओं पर स्वमेव ही रोक लग गई। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं पुरुषों को घर बैठे रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति पूर्णतः कृषि पर निर्भर थे आज वहीं पर अपनी जीविका चलाने के अनेक साधन उपलब्ध हो गये हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानता में कमी लाने का पूरा श्रेय शिक्षा को ही जाता है।

शहरी क्षेत्रों में

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों की सामाजिक स्थिति अच्छी है। ऐसे शहरी क्षेत्र जो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुये अर्थात जो कस्बे के समान हैं वहां पर लैंगिक असमानता आज भी व्याप्त है। ऐसे स्थानों पर महिलाओ के लिये घर के काम काज तथा पुरुष वर्ग के लिये धन कमाना एवं अन्य

बाहर के कार्य करना निर्धारित है। परन्तु इन क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण नहीं किया जाता है उनके साथ सामान्य व्यवहार किया जाता जिसके दो मुख्य कारण है एक शिक्षित समाज एवं कानून का डर। इन दोनों कारणों में से नारी का शोषण रोकने का श्रेय सबसे अधिक शिक्षा को जाता है। कस्बे वाले क्षेत्रों में मध्यमवर्गीय परिवारो की संख्या सबसे अधिक होती है इन स्थानों पर लोग सामान्यतः छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं या नौकरी करते हैं तथा इन्हीं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। अतः कस्बे वाले क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों का जीवन सामान्य है तथा स्त्रियों का शोषण नहीं किया जाता है।

ऐसे शहरी क्षेत्र जो विकसित हो गये वहां पर महिलाये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खडी हैं यहां तक की कुछ क्षेत्रों में महिलायें पुरुषों से भी आगे निकल रहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन अब घर की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं रह गया है वरन् आज की स्त्री समाज के विकास मे अपना पूर्ण योगदान कर रही है। शिक्षा, जिससे पहले महिलाओं को वंचित रखा जाता था आज की नारी उसी क्षेत्र में पुरुषों से कई गुना आगे बढ़ गई हैं। शहरी क्षेत्र किसी भी प्रकार के लोक रिवाजों से पूर्णत परे है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे रिवाजों को ताक पर रख दिया गया है, महिलायें एवं पुरुष पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुष एवं स्त्रियां किसी भी जाति मेंविवाह करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अर्थात कहा जा सकता है इन क्षेत्रों में महिलाऐं एवं पुरुष अपने भविष्य के लिये निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इन क्षेत्रों में जीवकोपार्जन के लिये बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हैं जहां पुरुष एवं स्त्रियां समान रूप से कार्य करते हैं एवं किसी भी कम्पनी या सरकारी नौकरियों में किसी भी पद के लिये एवं वेतन के लिये सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में लैंगिक असमानता दूर करने का प्रारम्भिक बिन्दु शहरी क्षेत्र ही हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. स्त्रियों की दशा आज भी दयनीय है।

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में (ख) शहरी क्षेत्रों में (ग) दोनो क्षेत्रों में (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

2. महिलाओं की सामाजिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण.....है।

विभिन्न समयावधियों में एक लडका या लडकी होने का अर्थ एवं अनुभव (Meaning and experience of being a boy or a girl across different time-periods)

भारत पुरातन काल से ही पुरुष प्रधान राष्ट्र रहा है। परन्तु विभिन्न समयावधियों में स्त्रियों एवं पुरुषों के सामाजिक स्तर में अधिक भेदभाव देखने को मिलता है। समयावधि के आधार पर समय को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है, जिनके अन्तर्गत हम महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, जिनका विवरण निम्नवत है।

प्राचीन काल में

प्राचीन काल के ग्रन्थों में नारी की महानताओं का वर्णन एवं प्रशंसा की गई है। इनके अनुसार नारी के बिना संसार अधूरा है। मनु ने तो नारी को घर की लक्ष्मी एवं शोभा बताते हुये यहां तक कहा है कि -''हे महाभाग! नारियां सन्तानोत्पादन के निमित्त आदर सत्कार के योग्य घर की दीप्ति है और लक्ष्मी के रूप में रहती है, इन दोनों में कोई विशेष नहीं है अर्थात् दोनों समान हैं।'' प्राचीन काल में शास्त्रों में स्त्रियों की महत्ता एवं योग्यता बताते हुये यह कहा गया है कि, स्त्री पवित्रता, कामधेनु, श्रद्धा, सिद्ध ऋषि, अन्नपूर्णा यहां तक कि सब कुछ है जो मानव के सभी प्रकार के कष्टों, संकटों एवं अभावों का निवारण करने में पूर्णतः समर्थ है। वैदिक काल में स्त्रियों को पूज्य माना जाता था जिसका पता ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' सूक्ति से पता चलता है।

वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। परन्तु शिक्षा का पाठ्यक्रम पृथक -प्रथक था। जैसे ब्राम्हणों की कन्याओं को वैदिक ऋचाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी जबकि क्षत्रिय कन्याओं को तीर-कमान, भाला, तलवार आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था परन्तु इस युग में शूद्र जाति की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने से पूर्णतः वंचित थी। अर्थात स्त्रियों की शिक्षा वर्ण व्यवस्था से पूर्णतः प्रभावित थी।

प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित होने के कारण पुरुषों में शिक्षा केवल उच्च वर्ण के लोगों तक ही सीमित थी। शूद्र वर्ग के पुरुषों एवं स्त्रियों दशा अत्यन्त सोचनीय थी। इस वर्ग के लोगों का कार्य केवल उच्च वर्ग के लोगों को सेवा प्रदान करना था। शूद्र शिक्षा से पूर्णतः वंचित थे। महाभारत काल में द्रोणाचार्य द्वारा एकलब्य को शूद्र वर्ण से सम्बन्धित होने के कारण शिक्षा प्रदान न करना इसका जीवन्त उदाहरण है।

मध्यकाल में

भारत में मध्यकाल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध काल एवं मुस्लिम काल। बौद्ध धर्म की स्थापना समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने एवं सभी वर्ण के पुरुष एवं स्त्रियों को समाज में समान स्थान प्रदान करने के लिए की गई थी। बौद्ध काल के प्रारम्भ में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया परन्तु कालान्तर में स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति शिक्षा प्रदान की जाने लगी। बौद्ध शिक्षा केन्द्रों में स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस काल में महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को भी महत्व दिया जाता था अशोक महान द्वारा अपनी पुत्री शंघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्री लंका भेजना इस बात का प्रमाण है।

मुस्लिम काल आते-आते समाज में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित हो गया एवं स्त्री केवल गृहणी बन कर रह गई। पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण स्त्रियों का जीवन चार दीवारी के अन्दर ही सिमट कर रह गया और महिलाऐं शिक्षा से पूर्णतः वंचित हो गईं महिलाओं में अशिक्षा के कारण वे हीन भावना की शिकार होती गई फलस्वरूप इस काल में महिलाओं का व्यक्तित्व विकास पूर्णरूप से दब गया और वे सिर्फ पुरुष अनुगामिनी बन कर रह गईं आक्रमण का भय महिलाओं के लिये सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ महिलाओं का जीवन केवल घर मे ही सीमित रह गया। मध्यकाल में महिलाओं को केवल हवस पूरा

करने की वस्तु माना जाता था। सती प्रथा प्रचलित होने के कारण इस समय में पति के मर जाने पर स्त्रियों को जिन्दा जला दिया जाता था। अधिकांशतः क्षेत्रों में बाल विवाह प्रथा प्रचलित होने के कारण महिलाओं का बचपन से ही शोषण शुरु हो जाता था। कम उम्र में मां बनने के कारण कई स्त्रियां या तो जीवन भर बीमार रहतीं थीं या मर जाती थीं।

मुस्लिम शासन काल में निरंकुश राजाओं के शासन काल में स्त्रियों की दशा और भी खराब थी। दास प्रथा प्रचलित होने के कारण दासों पर भी अत्याचार किया जाता था। सामंत वर्ग के पुरुषों एवं स्त्रिओं का जीवन उच्च कोटि का था, उनका पूरा कार्य दासों को करना पडता था। किसान वर्ग के पुरुष स्त्रियां भी उपेक्षित रहे, किसानों को कर देना पडता था जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं हो पाया।

मध्यकाल में केवल कुछ ही स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण कर पाई वो जो शासक वर्ग से सम्बन्धित थीं। इनमें गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, जेब-निस्सा, जहां आरा बेगम ने उच्च शिक्षा प्राप्त थी। मध्यकाल के अन्त तक स्त्रियों की शिक्षा का स्तर इतना गिर गया था कि 19 वीं सदी के प्रारम्भ में महिलाओं की साक्षरता केवल 2 प्रतिशत रह गई।

ब्रिटिश काल में

ब्रिटिश युग का आरम्भ भारत में अंग्रेजों के शासन काल से माना जाता है। इस समय में स्त्रियां अशिक्षित थीं। समाज में अभी भी स्त्री को उपभोग की वस्तु माना जाता था। अंग्रेजों के शासन के कारण निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के महिलाओं एवं पुरुषों दोनों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होने लगी। जिस वर्ग के लोगों का शोषण राजाओं द्वारा किया जाता था इसी वर्ग का शोषण अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा। इस समय भी भारत में पर्दा प्रथा, सती प्रथा एवं बाल विवाह प्रथा प्रचलन में थी। इस समय में महिलाओं एवं पुरुषों का कृय विकृय भी प्रचलन में था। गांधी जी ने महिलाओं की समाज में स्थिति का वर्णन किया है।

गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि- ''ये हमारी अभागी बहनें जिन्हें पुरुषों ने अपनी हवस के लिये बेच दिया है, यह बडे शर्म व दुःख की बात है। महिलाओं के लिए बड़ी ही अपमान जनक स्थिति है। पुरुष जो कानून बनाने वाला है; उसे महिलाओं के प्रति किए गए व थोपे गए अपमानजनक नियमों व कानूनों के लिए भयानक दण्ड चुकाना पड़ेगा।''

ब्रिटिश काल के कुछ शासकों ने महिला शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये भी कार्य किया। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये अलग से विश्वविद्यालय खोले जाने लगे। कुछ समाज सुधारकों जैसे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने भी महिलाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये अथक प्रयास किये। फलस्वरूप महिलाओं के सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक दास प्रथा समाप्त हो गई अर्थात निम्न वर्ग के पुरुष एवं महिलायें स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे।

आधुनिक काल मे

आधुनिक काल में पुरुष व स्त्रियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं जिसका मुख्य कारण शिक्षित समुदाय है। समाज में पुरुष तथा स्त्रियों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें इसके लिये सरकार द्वारा कानून का निर्माण

किया गया। स्त्रियां समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकें इसके लिये आज उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। राज्य सरकारें उनकी शिक्षा के लिये विशेष प्रोत्साहन दे रही हैं।

21 वीं सदी के आधुनिक समाज में स्त्रियां पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहीं हैं इसकी छवि किसी भी महानगर में देखी जा सकती है। आज किसी भी व्यवसाय में स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। आज स्त्री एक दासी न होकर अर्धांगिनी है। ग्रामीण क्षेत्रों को यदि छोड दिया जाये तो पर्दा प्रथा समाप्त हो गई है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिय कड़े कानून बना दिये गये हैं। आज के समय में स्त्रियों को प्रताडित नहीं किया जा सकता है। प्राचीन काल में कर्तव्य केवल महिलाओं के लिए होते थे वे आधुनिक समाज में पुरुषों के लिये भी निर्धारित किये गये हैं।

मधु किश्वर एवं बनिता रूप द्वारा सम्पादित 'इन सर्च आफ आन्सर्स: इंडियन वीमेन्स व्हायसेस फ्राम मानुशी' में मधु किश्वर ने लिखा है कि, ''भारत में स्त्रीत्व का जो व्यापक लोकप्रिय सांस्कृतिक आदर्श है, वह हम लोगों में से ज्यादातर के लिये फांसी का फंदा बन गया है। उस आदेश के अनुसार स्त्री निःस्वार्थ त्याग की मूर्ति है जो देती ही जाती है- अनन्त काल तक अनन्त सीमा तक वह भी गरिमा के साथ हंसते-हंसते, मांगे चाहे जो हों, चाहे जितनी अविवेकपूर्ण और हानिकारक हों, उन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य है। वह केवल प्रेम अनुराग तथा निःस्वार्थ सेवा ही नहीं देती, बल्कि पति, बच्चों और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की वेदी पर अपना स्वास्थ्य और जीवन तक न्यौछावर कर देती है। परिवार में स्त्री को दासी मानने और उसके प्रति अनादर का भाव रखने की विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इसके कारण स्त्रियों को लाठी और गाली से दबाना आम बात माना जाता है।''

इन सब के बावजूद लिंग-भेद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की ओर कदम आधुनिक समाज में उठाये जा रहे हैं। आज महिलायें घर की चार दीवारी में कैद न होकर प्रत्येक उस व्यवसाय में अपना वर्चस्व दिखा रहीं हैं जहां कभी पुरुषों का आधिपत्य स्थापित हुआ करता था। प्रत्येक व्यवसाय में स्त्रियां उच्च पद को प्राप्त कर रहीं हैं। इस भेद को समाप्त करने का श्रेय केवल शिक्षा को जाता है। वर्तमान समाज में स्त्रियों की शिक्षा के दर में दिन प्रतिदिन बढोत्तरी होती जा रही है।

अभ्यास प्रश्न

3. नरियों को देवी के रूप में पूजा जाता था।

(क) वैदिक काल में (ख) मध्यकाल में (ग) ब्रिटिश काल में (घ) उपरोक्त सभी।

4. .....काल में नारियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं शोषण से मुक्त हैं।

5. शंघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये.....गई थी।

सारांश (Conclusion)

नारी के संदर्भ में हमेशा से माना गया कि वह एक 'ऑब्जेक्ट' है फिर वह चाहे पाश्चात्य में किर्केगार्द हो 'जिन्होंने नारी को जटिल रहस्मय सृष्टि माना' या फिर नीत्शे 'जिसने माना कि नारी पुरुष का सबसे

पसंदीदा या कहें कि खतरनाक खेल है', वहीं दूसरी जगह रूसो ने 'स्त्री की निर्मिति पुरुष को खुश करना स्वीकारा'।

भारतीय संदर्भों में भी स्त्री को 'सेक्स ऑब्जेक्ट' के रूप में देखा व स्वीकारा गया जहाँ उसकी उपयोगिता पुरुष को खुश करने तक ही सीमित थी। महादेवी वर्मा लिखती हैं 'स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है, न देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। कारण वह जान गई है की एक का अर्थ अन्य की शोभा बढ़ाना है तथा उपयोग न रहने पर फेंक दिया जाता है तथा दूसरे का अभिप्राय दूर से उस पुजापे का देखते रहना है, जिसे उसे न देकर उसी के नाम पर लोग बाँट लेंगे"।

जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि लैंगिक असमानता का आधार सेक्स है, परन्तु लैंगिक असमानता वर्तमान समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। मध्यकाल से ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट शुरु होकर चरम स्थिति तक पहुंच गई थी जिस कारण महिलाऐं आज तक भी पुरुषों के समान नहीं समझा जाता है।

लैंगिक असमानता यदि आज समाज मे व्याप्त है तो उसका एक मात्र कारण हमारी कुण्ठित मानसिकता है। यदि महिलाओं को भी समाज में समान स्थान प्रदान करना है तो सर्वप्रथम अपनी मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जिन वर्गों में आज भी महिलाओं को केवल हवस पूरा करने की विषय वस्तु माना जाता है उनके लिये कठोर कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। नारी के स्तर के में सुधार के लिये एवं नारी एवं पुरुष के सामाजिक स्तर की खाई पाटने के लिये एक और सबसे बडी आवश्यकता नारियों को शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षित नारी ही शिक्षित समाज का निर्माण करती है अतः बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये अभी तक जो भी कदम उठाये गये हैं उन्हें और प्रभावी करने की आवश्यकता है एवं नई योजनाओं को भी लागू करने की आवश्यकता है।

इकाई - 2

समाज की विविध संस्थाओं (जैसे परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति) मीडिया या प्रचलित मीडिया (जैसे सिनेमा, विज्ञापन, गाने आदि) कानून और, राज्य के द्वारा जैंडर संबंधितभूमिकाएं की चुनौतियां और उन को सीखना

Learning and challenges of gendered roles in society through a variety of institutions (like family, caste, religion, culture, the media and popular culture (films, advertisements, songs etc.), law and the state, and patriarch and gender

प्रस्तवना

देश की आधी आबादी के संदर्भ में यह कटू सत्य है कि सामाजिक, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक यर्थाथता के आधार पर स्त्री पुरूषों में सामाजिक जीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में लैगिंक असमानता विद्यमान है। स्त्री पुरूषों में व्याप्त ये असमानताएं इनकी समाज में प्रस्थिति और भूमिकाओं के आधार पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रस्थिति को महत्वपूर्ण सूचकों यथा काम मे सहभागिता, समाजीकरण, स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त करने के स्तर, साक्षरता दर, सम्पत्ति में हिस्सेदारी, राजनैतिक भागीदारी, आर्थिक उत्पादन ने भागीदारी आदि में महिलाओ की स्थिति से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं अभी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हुई है। विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, जो परिवार, समाज एवं देश के विकास में अनिवार्य एवं अति महत्वपूर्ण योगदान करती है। फिर भी परिवार और समाज में उन्हें आज तक स्थान नहीं मिल सका जिसकी वह वास्तविक हकदार है। आज भी बराबरी के इतंजार में है। आधी आबादी वह केवल घर परिवार भी जिम्मेदारी निभाने वाली मां, बहन, की भूमिका कें हीदेखी जाती है। केवल आदश्र रूप में ही उसकी कल्पना है उसे किसी भी भूमिका में देखना बहुत बड़ी चुनौति है उसके विकास के अवसर अभी बहुत दूर है। जेण्डर भेदभाव हर क्षेत्र में दिखता है। जेण्डर का संबंधउन भूमिकाओं या कार्यों से है जो समाज में स्त्रियों और पुरूषों को अलग अलग बांटती है।

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- जेण्डर भूमिकाओं की चुनौतियों को समझ सकेंगें
- समाज की विविध संस्थाओंद्वारा जेण्डर भेदभाव को जान सकेंगे
- मीडिया में महिलाओं की छवि को समझ सकेंगे
- महिलाएं कैसे आत्म निर्भर बने यह समझ सकेंगे

कार्य भूमिका के संदर्भ में जेण्डर भेद

भारतीय समजा आरंभ से ही पुरूष प्रधान समाज रहा है। भारतीय पुरूष प्रधान समाज में हर काल में महिलाओं को समाज में चुनौतियों का समाना करना पड़ता है। चाहे बात लालन पालन की हो, शिक्षा या स्वास्थ्य की हो, पोषण न्याय व स्वतंत्रता प्रदान हो, हर बार यह देखा गया है कि फैंसला हमेशा पुरूष के पक्ष में किया जाता है।

बलिका को संस्कार व सामाजिक, मान्यताओं की दुहाई देकर प्यार से बहना फुसला दिया जाता है। भारतीय परिवार में बाल्यावस्था से ही लड़के व लड़की मे विभेद किया जाता है, उसकी घरेलू भूमिका में भी अन्तर पाया जाता है। लड़कियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कार्यों में सहयोग करे। खाना बनाना,, सफाई करना, पानी लाना, परिवार के अन्य व्यक्तियों की सेवा करना उनके कार्य, क्षेत्र गिनवाये जाते है। घर का मुखिया पुरूष होता है महत्वपूर्ण निर्णय लेना एवं घर के बाहरी कार्यो को सम्पन्न करने का जिम्मा उनका होता है।

जब उचित शिक्षा प्राप्त कर महिला रोजगार प्राप्त करती है तो जेण्डर विभेद यहां भी दृष्टिगोचर होता है कई कार्यालयों में महिलाओं को क्षमता को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है।

कई महत्वपूर्ण पद उसे इसलिये नहीं दिये जाते है कि वह स्त्री है, उस पद से संबंधित कार्यों को वह निष्ठापूर्वक पूरा कर पायेगी या नहीं।

बदलते परिवेश मे यह आवश्यक है कि समाज महिलाओं के प्रति अपने पूर्वग्रह एवं नकारात्मक रवैय के बदलाव लाये। महिलाओं को समुचित सम्मान देकर उसकी कार्यशक्ति व प्रतिभा को पहचाने।

जेण्डर के आधार पर महिला पुरूष के कार्य क्षेत्र को निर्धारित नहीं करके बल्कि उनमें निहित क्षमताओं, योग्यताओं व रूचियों के आधार पर उन्हें कार्य सौंपे जाये।

घर परिवार में भी कार्यशील महिलाओं के प्रति उदारतावादी व सहयोग पूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि कार्यस्थल की भूमिका को वह बिना किसी तनाव के निष्ठापूर्ण सम्पर्ण कर सकें। अकसर देखा जाता है कि कार्यशील महिलाओं से परिवार वालों की अपेक्षा वही होती है जो एक घरेलू महिला से होती है। कार्य भूमिका को लेकर परम्परागत मान्यताएं प्रचलित है। घरेलू सभी कार्यों की जिम्मेदारी महिला पर है चाहे कार्यस्थल पर वह कितनी ही शारीरिक व मानसिक थकान से पीडित हो।

ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों से यह अपेक्षा होनी चाहिए कि वे कार्यशील महिला के साथ समायोजन करें। कार्य भूमिका का बंटावारा जेण्डर पर आधारित ना होकर आपसी समझ पर होना चाहिये।

कार्य भूमिका के संदर्भ के जेण्डर विभेद समाज की संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है तथा समाज में स्त्री पुरूष व अन्य परिवार के सदस्यों के मध्य व कार्यस्थल के वातावरण में तनाव, कुसमायोजन एवं कुण्ठाओं को जन्म देता है।

भारतीय समाज में घरेलू महिलाओं द्वारा किये गये कार्यों को उतना सम्मान नहीं दिया क्योंकि ये पहले ही मान्यता प्रचलित है कि घर के सभी कार्य क्षेत्र में आते है ये तो उसे करने की चाहिये । हर परिवार में महिला अपने घर के सदस्यों के लिए करती है। इस अवैतनिक कार्य की प्रशंसा व मान उसे बहुत कम परिवारों में ही मिल पाता है।

प्राय: सुबह से लेकर देर रात तक वह परिवार के विभिनन कार्यों में उलझी रहती है। कभी कभी वह स्वास्थ्य की भी अपेक्षा कर जाती है पर कितने ऐसे परिवार है जहां पर महिला की फिक्र की जाती है उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार द्वारा महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता जाये। उसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उसकी सहायता की जाये। घरेलू कार्यों को हेय दृष्टि से ना देखा जाये। जहां तक संभव हो परिवार के सदस्यों के कार्यों का बटवारा हो ताकि महिला पर ही सारे कार्यों का बोझ ना पड़े।

सामाजिक जीवन में कई क्षेत्रों में जेण्डर भेदभाव की रचना और अभिव्यक्ति की जाती है। यह भेदभाव संस्कृति, विचारधारा और तार्किक धारणाओं तक सीमित नहीं है। बल्कि यह घर में लैगिक नाम

विभाजन से लेकर श्रम बाजार तक राज्य की व्यवस्था काम भावना, हिंसा की रचना और सामाजिक संगठन में कई पक्षों में दृष्टिगत होती है। जन्म के पश्चात जैविकीय आधार पर बच्चों की भूमिका और क्षमताओं का निर्धारण होने गलता है। और यही समाजीकरण जेण्डर भेदभाव को जन्म देता है। ओझा 2002 के अनुसार जेण्डर संबंधों की समस्यउा संपूर्ण संसार मे है और इसकी जड़े पुरूष और नारी लिंगों मेंजैविकीय अंतर से है जिसे पुरूष ने अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति तथा अपने शक्तिशाली दबावा के कारण हासिल की है।

भारत आध्यात्मिक देश रहा है यहां की संस्कृतिक विशेषताओं की जड़ हमें यहां के धार्मिक ग्रंथों, कथाओं आदि में मिलती है। सांस्कृतिक विशेषताओं में पितृसत्तामक से जुड़ी अनेक धारणाएं जनमानस में इतनी गहरी है जो जेण्डर भेदभाव एशियई समाजों में गर्भाशय से अधिकार प्राप्त है। कुछ परम्परागत समाजों में लड़कियों शुरू से यह स्वीकृत करती चली आ रही है कि उनके पिताजो परिवार के मुखिया है पुत्र को विशेष आदर देते है जो पुत्र की प्रधानता को इंगिता करता है और यह असमानता परिवार में ही नहीं बल्कि बाजार राजनीति, स्वास्थ्य शिक्षा आदि विभागां में होता है।

आधुनिक युग जो प्रोद्योगिक युग कहा जाता है, में अनेक कारण व साधन विद्यमान है जिससे विभिनन सुविधाओं तथा सुविधाओं तथा तकनीकी विकास ने जेण्डर भेदभाव को बढावा दिया। जिससे छोटे परिवार की बड़ती चाह मध्यवर्गीय परिवरों के प्रति बढ़ती ललक जिससे भी एक पुत्र अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर पहली संतान लड़की है तो दूसरी बार पुत्र जन्म अनिवार्य मानने की सोच भेदभाव को बढ़ावा देती है। आर्थिक कारण से निम्न आर्थिक स्थिति व नौकरी पेशे वाली महिलाएं तथा साथ ही दहेज व अन्य खर्चे के कारण सभ्यता, नगरीकरण द्वारा नारी के लिए घर के बाहर के कार्यों में बढ़ रहे अनन्त अवसरों ने एक व्यापक नारी असंतोष को जन्म दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा नारी की छवि को खराब करने के परिणामस्वरूप छोटी बच्चियों से बलात्कार, छेडछाड व यौन अवराधों तथा वैश्विक अपराध में वृद्धि हुई है।

समाज की विविध संस्थाओं द्वारा जेण्डर भूमिकाओं की चुनौतियां

बच्चों में अपने माता पिता, भाई बहनों, अध्यापकों पड़ोसियों के व्यवहार को अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समाजीकरण के इन माध्यमों से उन्हें जैसी शिक्षा मिलती है, उनमें वैसी ही मनोवृत्ति विकसित होती है। यही कारण है कि यदि माता पिता लड़के और लड़कियों की भूमिका के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते है या भेदभाव दिखाते हे तो उनके बच्चों में भी उसी तरह का पूर्वाग्रह विकसित हो जाता है। किसी जाति या धर्म के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते है तो बच्चे आसानी से सीख लेते है। अपने देश में भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते है। सबका बालकों को संस्कार व परवरिश करने का अपना तरीका है। कुछ जातियां अपने को ऊँचा व श्रेष्ठ मानती है। धर्म व नैतिकता का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है जन्म लेते ही बच्चा मानव निर्मित वातावरण में प्रवेश करता है जहां भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति (धर्म, प्रथा, विश्वास आदि उसे घेरे रहते है। बालक को परिवार में जन्म लेते ही उस धर्म का अनुयायी होना होता है। धर्म नैतिकता मिलकर व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित एवं संतुलित करते है। संस्कृति विभिन्न प्रकार जैसे धर्म, भाषा, नैतिकता, परम्परायें प्रथाएं आदि से व्यक्तित्व को लगातार प्रभावित कर सिखाती है।

बच्चा बचपन से ही अपने आस पास के परिवेश से सीखने लगता है। संस्कृति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से उसके व्यक्तित्व को विकसित करती है और एक जिम्मेदारी सामाजिक नागरिक के रूप में उसे जीना सीखाती है। व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है। उदाहरण जैसे भारतीय संयुक्त परिवारों में बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए तरह तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के परिणामस्वरूप भारत में अपने माता पिता, भाई बहनों का पारिवारिक सदस्यों के संदर्भ में उत्तरदायित्व की भावना जितनी अधिक पाई जाती है। वह अन्य देशों के लोगों में देखने को मिलती है। संस्कृति अपने समूह या समाज के लोगों को दूसरों का सम्मान करना सीखाती है। संस्कृति व्यवहार को निर्धारण करती है। परिवार में, समाज में व्यक्ति की अलग अलग भूमिका हो सकती है। घर में पिता, पति, बेटा या भाई हो सकता है। कार्यालय में उसकी भूमिका ऑफिसर की हो सकती है। अलग अलग परिस्थितियों में तरह तरह का व्यवहार करना संस्कृति ही सीखाती है। कि पिता को पुत्र या पुत्री से कैसा व्यवहार करना चाहिए। पति के रूप में कैसा होना चाहिए। ये तमाम तरह की भूमिकायें व्यक्तित्व व्यवहार का निर्धारण करते हुए उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एक अध्ययन के अनुसार माता पिता के शब्द बच्चों की सोच व प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालते है। बच्चों के दिमाग में वे क्या नहीं कर सकत डालना, वे क्या कर सकते है से ज्यादा आसान है मसलन अपने बेटे से गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद रखना ओर बेटी को यह बताना कि वह गणित की बजाय विज्ञान में बेहतर है उसे सचमुच गणित में कमजोर बना सकता है। यदि आप बेटी से हमेशा कहेगे वह गाड़ी सीखकर क्या कर लेगी वह उसके बस का नहीं, तो वह कभी सीख नहीं पायेगी। घर में बेटे बेटी के बीच फर्क नहीं होता होगा फिर भी परवरिश में अंतर आ जाता है। कुछ इस तरह लड़कियां शांत व सभ्य होती है, अभिभावकों का रहन सहन, परिवेश, सोच समझ चाहे जैसी रही हो, वे बेटियों के बर्ताव के प्रति बेहद सजग रहते है। धीरे बोलो, कम बोलो, अच्छी तरह चलो, यह सीख लड़कियों के लिए बड़ी आम है। बचपन से टोका टोकी व हिदायतें सुन सुन कर लड़कियों के मन में कुंठ घर करने लगती है। यदि बेटी को शुरू से ही यह बताएंगे कि अधिक बोलना व आवाज उठाना गलत है तो आगे चलकर खुद के लिए आवाज उठाने में भी उसे हिंसक ही महससू होगी।

बदलनी होगी सोच। एक संतुलित समाज बनाने और इस अंतर को खत्म करने के लिए माता व पिता दोनों के साथ मिलकर कदम उठाने हागे

- न केवल बेटियों को बल्कि बेटो केा भी सभ्यता से शांत रहकर बात करना सिखाये।
- बेटियों को भी अपना पक्ष रखने की पूरी आजादी दे।
- माताएं वित्त से जुड़े मामलों में रूचि दिखाए और बच्चों को यह समझाएं कि महिलायें किसी से कम नहीं है।
- प्यारी गुडिया सुन्दर राजकुमारी, जैसे शब्दों के साथ बहादुर बेटी, निर्डर बेटी, जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करे।
- लड़कियों की सुन्दरता, रंग रूप के साथ साथ उनकी दूसरी खुबियों की तारीफ भी करें।

- छोटे मोटे घरेलू काम बेटे व बेटी दोनों से कराये। दोनों को यह समझाये कि अपने काम उन्हें ही करने होगें।

इन प्रयासों से समाज में सपना हम देखते है वह साकार भी होगा।

जेण्डर भेदभाव और आत्म निर्भरता

प्रत्येक समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि समाज में युवा पीढ़ी आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो, क्योंकि आर्थिक उदासीनता युवाओं में सामाजिक, मानसिक अक्षमता लाती है। पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करती है। वर्तमान में युवा पीढ़ी के अन्तर्गत केवल लड़के की नहीं लड़कियों का भी आत्म निर्भर होना आवश्यक है। तभी वे परिवार व समाज में अपना योगदान दे सकेंगे और जेण्डर के प्रति दृष्टिकोण प्रति परिवर्तन आयेगा। वैश्वीकरण और प्रोद्योगिक विकास द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया है। उसमें महिलाओं की स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ा है। गत दस वर्षों में श्रम व्यवस्था से महिलाओं की भागीदारी अद्भुत रूप से बड़ी है और इस बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त सामाजिक नीति में भी परिवर्तन आया है। आज युवक युवतियां मानते है कि आत्मनिर्भरता में महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है तथा आर्थिक सहायता में भी मदद मिली है।

जहां तक महिला छवि या जेण्डर चुनौतियों में मास मीडिया की भूमिका या मास मीडिया के प्रभावों का प्रश्न है तो इसे इन उन समस्याओं के समाधान के परिदृश्य में देखे जाने की जरूरत है जो महिलाओं के विकास और प्रगति के मार्ग में लिंग -भेद, शारीरिक व यौनिक हिंसा, बलात्कार, दहेज - हत्या, छेड छाड जैसे अनेकानेक असामाजिक कृत्य और मानसिकता के रूप में सुरक्षा की भांति मुह फाड़े खड़ी है, मीडिया की भूमिका महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक लक्ष्य और साधन दोनों के रूपों में है। जेण्डर से संबंधित तमाम मुद्दों को, जो किसी भी रूप महिलाओं को प्रभावित करते है, चाहे वह उनकी समस्याओं से संबंधित हो या फिर उनके समाधान से, मीडिया इन मुद्दों को विभिन्न तरीकों एवं विभिन्न स्तरों पर उठाकर समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर समाज को जागृत करता है। महिलाओं को प्रभावित करने या महिलाओं से प्रीभावित होने वाले तमाम विषय में, समाज में जिस किसी स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है या किया जा रहा है, उन्हें उसी रूप में वस्तुनिष्ठता के साथ जैसी मजदूरी में भेदभाव, महिलाओं के प्रति अपराध, शिक्षा में भेदभाव, दहेज, बलात्कार, लिंग भेदी विषयों से संबंधित रिपोर्ट एवं आंकड़ों की वास्तविक सूचना, समाचार, फिल्म सीरियल डॉक्यूमेन्ट्री, एनीमेशन आदि के माध्यमों से मीडिया जनता और सरकार तक पहुंचकर इन सभी प्रकार के अपराधों एवं शोषणों के विरूद्ध उठ रहे स्तरों को मुखर आवाज देकर इनके विरूद्ध एक शक्तिशाली माहौल बनाता है।

जब शोषण की शिकार व शोषित नारियों को सरकार पुलिस एवं न्यायालय की विसंगतियों के कारण न्याय मिल पाता है तो उन मामलों में जनगत निर्माण द्वारा दबाव समूहों का निर्माण कर न्याय का मार्ग प्रशस्त करना। जोर्सका लाल केस, इशरत जहां मुठभेड़, रूचिका यौन उत्पीड़न केस, प्रियदर्शनी मटू केस, भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या। 16 दिसम्बर सन् 2012 के दिल्ली का बहुचर्चित गेंगरेप, आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई बलात्कार केस, यू.एस.ए. पुलिस द्वारा भारतीय राजनायिक देवनानी

खोबरगेड के साथ दुव्यवहार आदि कुछ मामलों में भारतीय मीडिया द्वारा निभाई गयी भूमिकायें इसके ज्वलंत उदाहरण है।

भारतीय समाज में महिलाओं की कई समस्याएं रही है , इनमें गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अस्वास्थ्य, सामाजिक रूढ़िवादी मान्यताओं आदि कारणों से शिक्षा का प्रसार उस रूप में महिलाओंमे नहीं हो सका है जैसा अपेक्षित है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की वजह से उनके बीच गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अस्वास्थ्य जैसी अविकास की स्थिति और भी गंभीर हुई है। इस दिशा में मीडिया अपनी भूमिका का सफल निर्वहन कर रहे है। मीडिया चैनलों में समाचार संवादाता, समाचार ऐकर और समाचार निर्माता जैसे चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व द्वारा सम्पूर्ण समाज में उनके सक्षम नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के प्रति एक सकारात्मक माहौल का निर्माण कर समाज के सामने अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर रहा है। जहां मीडिया सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। वही कई बार नकारात्मक भूमिका में भी महिलाओं की छवि को खराब किया है। विशेष रूप से आज विभिन्न उत्पादों के प्रचार में नारी देहिक और सुन्दरता की जिस प्रकार सेक्स उन्मादकता के रूप में प्रस्तुत कर नारी मर्यादा का अपमान किया जाता है। इसका दुरूपयोग कर उन्हें यौनिक शोषण का माध्यम बनाया जाता है।

फिल्मों में भी नारी की स्थिति द्वितीयक है। पुरूष प्रधान समाज में नायक प्रधान फिल्मों को ही महत्व दिया जाता है। महिला प्रधान या महिलाओं की समस्याओं या विरोध को दर्शाने वाली पटकथा पर फिल्में बहुत कम ही बनती है। फिल्मों में स्त्री चरित्र को अश्लील ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे देश के युवा वर्ग की मानसिकता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यही स्थिति विभिन्न उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों की भी है। जिनमें नारी का अनावश्यक अंग प्रदर्शन किया जाता है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने का इससे श्रेष्ठ माध्यम विज्ञापन कम्पनियों और उत्पादकों को दृष्टिगोचर नहीं होता , मीडिया के द्वारा नारी छवि के प्रस्तुतीकरण को सुधारने के लिए अनेक प्रयास सरकारी एवं निजी स्तर पर कुछ संस्थाओं द्वारा समय समय पर किये गये है। इस दृष्टि से एक समन्वित मीडिया योजना बनाया जाना अति आवश्यक है। 1982 में डॉ. पी.सी. जोशी के नेतृत्व के इस हेतु एक समिति का गठन भी हुआ था। इस समिति में नारी छवि के प्रस्तुतीकरण के लिए एक विशेषज्ञ समूह भी सम्मिलित था। समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये । परन्तु मात्र सुझाव या अधिनियम बना देने से नारी छवि में सुधार संभव नही है। इसके लिए मीडिया व्यवसायियों और कर्मचारियों के लिए नारी संवेदनात्मक प्रशिक्षण भी नितान्त आवश्यक है।

निजी स्तर पर कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार का उत्तरदायित्व उठाने का प्रयास किया है। अहमदाबाद का वुमन्स एक्शन ग्रुप तथा मुम्बई स्थिति वूमेन एण्ड मीडिया ग्रुप इसी के उदाहरण है। अन्यं कई सुझाव दिये गये है जैसे -

विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से मीडिया क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाये

- महिला विषयों पर शोध कर मीडिया माध्यमों का समुचित प्रयोग कर उनका प्रसार किया जाये।

- रेडियो और टेलिविजन का प्रयोग बालिकाओं और महिलओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण के उपयों के प्रचार प्रसार के लिए किया जाये।

- विज्ञापनों में नारी की छवि को सुधारने के कठोर प्रयास किये जाये।
- मीडिया में नारी की सकारात्मक एवं सृजनात्मक छवि का प्रचार तथा नकारात्मक पारम्परिक रूढ़िवादी छवि को हतोत्साहित करने के लिए युवाओं को तैयार किया जाये।

जेण्डर के प्रति कानून का प्रभाव

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने तथा जेण्डर समानता की दृष्टि से कई कानून बनाये गये जिसमें महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति, निर्णय लेने में महिलाओं को महत्व, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समाप्ति महिलाओं को आरक्षण, महिला पुरूष समान वेतन, महिला आयोग, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति इत्यादि प्रयास किये गये। जिससे समाज में जेण्डर के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और महिला सबल हो।

भारतीय समजा पितृसत्तात्मक समाज हैं जहां महिला व पुरूषों में संस्तरण देखने को मिलता है। इस उच्चता व निम्नता की स्थिति से निजात पाने के लिए तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने एवं महिला अधिकारों के हनन को कम करने के लिए भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए मानवाधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में मानवाधिकार का दो भागों में बांटा गया है। प्रथम मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान में भाग तीन तथा धारा 12-35 तक में किया गया है। द्वितीय श्रेणी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते है। जिसका उल्लेख संविधान के भाग चार में किया गया है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य है। परन्तु नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु सरकार बाध्य नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान -

1- **अनुच्छेद 14 -** इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि काननू के समस्त सभी समान है। सभी को कानून के द्वारा समान सुरक्षा व संरक्षण प्राप्त होगा। किसी भी नागरिक को वर्ण, जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान, भाषा आदि के आधार पर न तो विशेषाधिकार प्राप्त होगा और न ही उससे पूर्णता: वंचित किया जा सकता है।
2- **अनुच्छेद 15 -** राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति लिंग के आधार पर किसी भी निर्योग्यता दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधान कर सकता है।
3- **अनुच्छेद 16 -** राज्य के अधीन किसी रोजगार या नियुक्ति के बाबत नागरिकों लिंग, आयु, जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
4- **अनुच्छेद 21 -** यह अनुच्छेद प्राण, दैहिक स्वतंत्रता औश्र संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता है। यह अधिकार स्त्री पुरूष को समान संरक्षण देता है।
5- **अनुच्छेद 23 -** मानव व्यवहार महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार, बेबार या अन्य प्रकार की बंधुओं मजदूरी को पूर्णतया घोषित करता है। महिलाएं भी पुरूषों की भांति स्वेच्छा से किसी भी

धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। अल्पसंख्यक पुरूषों और महिलाओं को स्वयं की शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार प्राप्त है।

6- **अनुच्छेद 39 -** पुरूष और स्त्री, नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। पुरूष और स्त्रियां समान कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखती है।

7- **अनुच्छेद 39 ई -** स्त्री व पुरूष कर्मचारी के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हो, की व्यवस्था करता है। स्त्रियों के लिए प्रसूतिकाल में अवकाश की व्यवस्था की गई है।

8- **अनुच्छेद 42 -** राज्य काम करने की न्याय परक एवं मानवीय परिस्थितियां पैदा करेगा और मातृत्व लाभ देना सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करने का प्रावधान है।

9- **अनुच्देद 51 -** प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरूद्ध है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये गये है।

10- **अनुच्छेद 325, 326** -निर्वाचक नामावली में महिला और पुरूषों की समान रूप स ेमत देने और चुने जाने का अधिकार देता है।

महिला मानवाधिकारों के संबंधमें अधिकार -

1- **चलचित्र अधिनियम 1952 -** इस अधिनियम में सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो ऐसी फिल्मों पर रोक लगायेगा जिससे महिलाओं की मर्यादा भंग होती है।

2- **स्त्री विशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) 1986 -** इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता है, जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को अधात पहुचं। समस्त विज्ञापन, प्रकाशन आदि में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया है।

3- **प्रसवपूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 -** इस अधिनियम द्वारा गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई है।

महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उसके विकास हेतु उन्हें समाज व संविधान के कई अधिकार तो दे दिए है, ताकि वह अपने हक को पा सके, किन्तु क्या इन अधिकारों के बनने से ही उनकी स्थिति सुधर जायेगी, क्योंकि जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे। आज भी वे उन अधिकारों से वंचित है। उनके जीवन में तभी प्रसन्नता आयेगी तब उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होगा, इससे एक कुशल समाज का निर्माण होगा। स्वामी विवेकानन्द का कहला है कि ''महिलाओं की दशा में सुधान न होने तक विश्व का कल्याण उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार पक्षी का एक पंख से ड़ना। महिलाओं के साथ किये जा रहे असमान एवं अमानवीय व्यवस्था में बदलावा आना बहुत जरूरी है। महिलाओं की दुदर्शा का मूल है - 'अशिक्षा' अत: लड़कियों एवं महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास सरकारी एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर तीव्र गति से किये जाने चाहिए। सामाजिक मानसिकता से भी परिवर्तन लाया जाये और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। अभी कुछ दिनों पूर्व की एक घटना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौलना आजाद लाइब्रेरी में छात्राएं प्रवेश नहीं कर सकती छात्राएं काफी समय से पुस्तकालय में प्रवेश करने की मांग कर रही थी। ताकि वे

भी पुस्तकों एवं अन्य उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सके, लेकिन वहां के उपकुलपति ने यह कहकर उनकी मांग ठुकरा दी कि यदि छात्राओं को लाइब्रेरी में आने दिया तो चार गुना छात्र उनके पीछे पीछे चले जायेंगे। महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महिलाओं को भी सर्तक एवं जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें स्वतंत्रता, सहानूभूति, सहयोग एवं सहायता के सदुपयोग के प्रति वचनबद्ध होना होगा। उन्हें उत्तेजक रहन सहन, खान पान, भौतिकवादिता एवं विलासता के समजाल को विवेकशीलता से तोड़ना होगा।

महिलाएं खुद सपना देखना सीखे और उसे साकार करने का प्रयास करें।?

सारांश

विश्व की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है। भारत की संस्कत्रति महिला पुरूष समानता पर बल देती है। परन्तु सदियों से पितत्रसत्तात्मक सामन्तवादी सामाजिक ढांचे में स्त्रियों, धर्म, मान्यताओं, परम्पराओं और रूढ़ियों के नाम पर उत्पीड़न और शोषण का शिकार रही है। स्वतंत्रता पश्चात कानून द्वारा पुरूष तथा महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। इस बदलती परिस्थिति में भारतीय नारी भी प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के साथ कार्य कर रही है। समाज में जेण्डर भेदभाव कम करने में मीडिया की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

सही/गलत बताइये

1- विश्व की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है।
2- बेटियों को अपना पक्ष परिवार में रखने की पूरी आजादी है।
3- लड़को से ये अपेक्षा की जाती है वह घरेलू कार्य करें
4- जेण्डर के प्रति लोगों के नकारात्मक सोच में बदलाव लाना आवश्यक है।
5- फिल्मों में नारी की स्थिति द्वितीयक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Pandey A.K., Emerging Issues in Empowerment of women, Anmol Publication, New Delhi.
- ओकले, अत्र, सेक्स, जेण्डर और सोसायटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिंगन, एरिया, पब्लिराड, एसोशिएशन विद यू सोसायटी
- अग्रवाल उमेश, भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास, योजना नई दिल्ली।
- आहूजा, राम, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
- आर.पी. तालसेरा एवं डी.पी. शुक्ला, भारतीय नारी, वर्तमान समसयायें और भावी समाधा, ए.पी.उच. पब्लिकेशन, नई दिलंली